

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे: -	
i.	उन प्रस्तावों तथा पारियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है	महाप्रबंधक टेलीरॉनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।
ii.	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	आरक्षित वनभूमि - 0.346 संरक्षित वनभूमि - 0.190 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेंज एरिया - निरंक कुल रकबा योग :- 0.536 हेक्टर
iii.	परियोजना की कुल लागत-	27 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाये -	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ-वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	कबीरधाम जिला के निकटवर्ती क्षेत्र घने वन एवं पहाड़ियों से आच्छादित है तथा खनिज संपदा से संपन्न है। इन क्षेत्रों में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से लोगों के जीवन शैली में सुधार होगा तथा शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	कबीरधाम जिला के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आसपास ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार -	निरंक
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii.	जिला -	कबीरधाम
iii.	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	संलग्न है।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा-	आरक्षित वनभूमि - 0.346 संरक्षित वनभूमि - 0.190 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेंज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.536 हेक्टर

4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा-	
i.	वन की वैधानिक स्थिति (नामत:आरक्षित/संरक्षित/अवर्गीकृत आदि)-	आरक्षित वनभूमि - 0.346 संरक्षित वनभूमि - 0.190 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेंज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.536 हेक्टर
ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा -	लागु नहीं है।
iii.	वनस्पति की संघनता -	0.4
iv.	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं-	आवश्यक नहीं है।
vi.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति आरक्षित जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षण की विशिष्ट टिप्पणियों को सलग्न करें)	कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु परिक्षेत्र कवर्धा का हिस्सा है, ब्यौरा निम्नानुसार है :- आरक्षित वनभूमि - 0.346 संरक्षित वनभूमि - 0.190 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेंज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.536 हेक्टर
vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा-	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.536 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है। आरक्षित वनभूमि - 0.346 संरक्षित वनभूमि - 0.190 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेंज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.536 हेक्टर
viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियां-	नहीं है।
ix.	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है।
x.	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या-	निरंक
iv.	विस्तृत पुनर्वास योजना-	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरा-	
i.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकर।	आवश्यक नहीं है।

ii.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नहीं है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों क्रियान्वयन एजेंसी समय सूची ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	निरंक
iv.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय लागत	निरंक
v.	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र कि उपर्युक्ता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो की उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	निरंक
vi.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	निरंक
vii.	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	निरंक
	a. परिषण लाइन की कुल लम्बाई	निरंक
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई	निरंक
	c. मार्ग का अधिकार	निरंक
	d. निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	f. पारेषण टॉवरों की ऊँचाई	निरंक
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल कैचमेंट क्षेत्र	निरंक
ii.	कुल कमाण्ड क्षेत्र	निरंक
iii.	कुल जलाशय स्तर	निरंक
iv.	उच्च बाढ़ स्तर	निरंक
v.	न्यूनतम प्राप्ति स्तर-	निरंक
vi.	परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)-	निरंक
vii.	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
viii.	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
ix.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	निरंक
x.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़े परियोजनाओं के लिए)	निरंक
xi.	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	निरंक

xii.	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना-	निरंक
xiii.	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में-	निरंक
8	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे-	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए-	आवश्यक नहीं है।
i.	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	निरंक
ii.	सड़क की कुल लम्बाई-	निरंक
iii.	पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई-	निरंक
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii.	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii.	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नहीं है।
iv.	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन-	आवश्यक नहीं है।
v.	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi.	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii.	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान-	आवश्यक नहीं है।
viii.	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें-	आवश्यक नहीं है।
ix.	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या-	आवश्यक नहीं है।
x.	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल-	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन-	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण-	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना-	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारों एवं मशीनों का भण्डारण-	आवश्यक नहीं है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कॉलोनियां-	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/राज्य मार्ग का निर्माण-	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xi.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है-	आवश्यक नहीं है।
xii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-	आवश्यक नहीं है।
xiii.	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी-	आवश्यक नहीं है।

xiv.	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (ऊपरी मृदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यक नहीं है।
xv.	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण—	
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गए हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो —	आवश्यक नहीं है।
i.	शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे—	आवश्यक नहीं है।
ii.	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी—	आवश्यक नहीं है।
iii.	गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही—	आवश्यक नहीं है।
iv.	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है—	आवश्यक नहीं है।
14	कोई अन्य सूचना—	आवश्यक नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे—	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात्—	कवर्धा डिवीज़न बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद—	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव—	
a	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
b	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	संचार के साधन बढ़ने से आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

TELESONIC NETWORK
(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कवारधा (छ.ग.0)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा मरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/154845/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.536 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	-
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हाँ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	-
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	- 4447.05 वर्ग किमी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	- 1588.30 वर्ग किमी
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	- 19 प्रकार 1206.651 हे.
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	- 905.74 हे. 184.00 हे.
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	905.74 हे. 184.00 हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 19/10/2023

स्थान : कवर्धा



टेलीसेनिक नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

(चूड़ाभणि सिंह)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
वन मण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कवर्धा (छ0ग0)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हे.		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.536 हे.		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धा	बंजारी से बोड़ला
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण :-	वनखण्ड	कक्ष/खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)
	क. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 60	0.056
		बंजारी	RF 61	0.112
		बंजारी	RF 63	0.008
		बंजारी	RF 64	0.017
		बंजारी	RF 65	0.153
		योग :-		0.346
	ख. संरक्षित वनभूमि	चोरभट्टी	PF 313	0.097
		बोड़ला	PF 315	0.093
		योग :-		0.190
	ग. राजस्व वनभूमि	—	—	0.000
		कुल योग :-		0.536 ha.
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट-ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सामान्य है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी.ध्वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	—		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे के सीमा के		

	रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	अंतर्गत ही किया जाना है, अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
11	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं किया गया है।

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- परिशेज कवर्धा

दिनांक :- 05/10/2023


 (चूडामणि सिंह) भा.व.से.
 वन मंडल अधिकारी
 कवर्धा विभाग, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)
 जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

-:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::-

Tel No.: 232230

E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2493
प्रति,

कवर्धा, दिनांक :- 19/10/2023

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :- कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network Limited द्वारा 4G OFC Cable Line Banjari to Bodla Village in Kawardha Forest Division हेतु क्षेत्रफल 0.536 हे. पंजीयन क्र. (FP/CG/OFC/154845/2022) बाबत।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एफ-115-918A/1417 दिनांक 24.06.2022।

—***—

निवेदन है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्र.
1	आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है।	01 से 12 तक
2	रजिस्ट्रेशन FP/CG/OFC/154845/2022 आवंटित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न है।	13
3	आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा आरक्षित वन 0.346 हे., संरक्षित वन 0.190 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.536 हे. है।	14 से 15 तक
4	कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु गैर वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।	16
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	17 से 20 तक
6	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	21 से 23 तक
7	आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है। कबीरधाम जिला के क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।	24 से 29 तक

8	आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाईल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के अंतर्गत कबीरधाम जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य मार्ग के 10.720 कि.मी. 4जी समांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमें कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।	30
9	प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है।	31
10	इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	32
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा :- भाग-1 - आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.536 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। उपरोक्त केबल रुट 0.50 मीटर की चौड़ाई एवं 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग-2 - कवर्धा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कवर्धा के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 0.346 हे., संरक्षित वन 0.190 हे., राजस्व वन 0.000 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.536 हे. प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट-ऑफ-वे में किया जाना है। जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष का विदोहन शामिल नहीं है तथा मार्ग के किनारे राईट-ऑफ-वे में वृक्ष विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव अभ्यारण के अंतर्गत नहीं है। 10 कि.मी. की परिधि में भोरमदेव अभ्यारण/कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	33 से 39 तक
12	आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं।	40
13	कबीरधाम जिला क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	41 से 43 तक
14	कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हे. है।	44
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 19 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1206.651 हे. है।	45
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी के 04 प्रकरणों में की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 13.579 हे. है।	46
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में भोरमदेव अभ्यारण स्थित है तथा 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कॉरिडोर, वन्यप्राणी अभ्यारण प्रस्तावित नहीं है एवं ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	47
18	आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	48 से 50 तक

19	आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि सम्मिलित नहीं है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधाम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	51 से 53 तक
20	पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 35000 रुपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 36 दिनांक 14.07.2022 द्वारा वन मण्डलाधिकारी कवर्धा के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है।	54 से 56 तक
21	प्रस्तावित वन भूमि भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	57
	डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं मैप सी.डी.सहित	58 से 77 तक

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :- 01. प्रस्ताव 04 प्रतियों में एवं
02. ऑनलाईन पार्ट-2 तथा टाईम लाईन

वनमण्डलाधिकारी

कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

पृ.क्र./तक.अधि./२५१५

कवर्धा, दिनांक :- 19/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छठगो रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एफ-115-918A/1417 दिनांक 24.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. Telesonic Networks Limited. 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कवर्धा वनमंडल कवर्धा